राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 766, 767, 768 / 2017 / बीकानेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर विभाग, श्रीगंगानगर

....अपीलार्थी

मैसर्स महावीर कोर्पोरेशन बीकानेर

....प्रत्यर्थी

एकलपीठ श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा. उप राजकीय अभिभाषक श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक।

......अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02/04/2018

निर्णय

- अपीलार्थी-विभाग द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या क्रमशः 513/RVAT/बीकानेर/2015-16, 514/RVAT/बीकानेर/2015-16, व 515/RVAT/ बीकानेर/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05. 02.2016 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् निम्न तालिकानुसार आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है।
- इन तीनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
- 3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :--

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश	, शास्ति
		क्रमांक	दिनांक	दिनांक	
1.	766 / 2017	513 / RVAT / बीकानेर	18.11.16	05.12.2016	1,81,348
2.	767 / 2017	514 / RVAT / बीकानेर	18.11.16	05.12.2016	2,00,277
3.	768 / 2017	515/RVAT/बीकानेर	18.11.16	05.12.2016	1,84,175

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.10.2015 को वाहन संख्या क्रमशः RJ-19-GC-3991, RJ-43-GA-1978 एवं RJ-43-GA-1978 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान सादलशहर के पास रोक कर चैक किया गया। वक्त जांच वाहनों में माल मूंगफली बीकानेर से जालन्धर (पंजाब) परिवहनित करना पाया गया। वाहन चालकों ने वाहनों में लदे माल से संबंधित बिल नंबर क्रमशः 224, 221 व 222 दिनांक 17.10.2015 एवं बिल्टी नंबर क्रमशः 1863,

लगातार.....2

1861 व 1862 दिनांक 17.10.2015 तथा घोषणा प्रपत्र वैट-49 क्रमांक क्रमशः - 6758925, 6758922, व 6758923 को प्रस्तुत किया गया। जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच करने पर घोषणा प्रपत्र वैट 49A को ऑनलाईन जारी नहीं किया जाना पाये जाने पर अधिसूचना दिनांक 14.05.2015 के उल्लंघन (जिन व्यवहारियों का वर्ष 2014-15 या उससे पूर्व के वर्षों में रूपये 25 लाख या उससे अधिक की पण्यावर्त रहा है तो उन्हें राज्य के बाहर भेजे जाने वाले माल के लिए घोषणा-प्रपत्र वैट-49A ऑनलाईन जनरेट किया जाकर उसका उपयोग किया जाना बाध्यकारी बताते हुए) के कारण माल को निरूद्ध किया गया। सक्षम अधिकारी ने अपीलार्थी को अपूर्ण दस्तावेजों से माल परिवहनित करने के कारण धारा 76(2) सपिठत नियम 54 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में अपीलार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असन्तोषजनक मानते हुए सक्षम अधिकारी ने परिवहनित माल कीमतन राशि रूपये क्रमशः 6,04,493 / -. 6,67,589 / — व 6,13,918 / — पर 30 प्रतिशत से शास्ति राशि रूपये क्रमशः 1,81,348 / —, 2,00,277 / – व 1,84,175 / – आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से श्री के. आर. दिहया, अधिकृत प्रतिनिधि ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये तथा मौखिक बहस की। अधिकृत प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि, माल के साथ विधिक रूप से जारी बिल एवं बिल्टी मौजूद थे जिनमें कोई कमी नहीं पाई गई। इसके अलावा अपीलार्थी ने घोषणा प्रपत्र वैट-49 भी संलग्न कर रखा था, उसमें भी परिवहनित माल का समस्त ब्यौरा संबंधित कॉलम में दर्शित किया हुआ था। अधिकृत प्रतिनिधि के मुताबिक उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में (बिल, बिल्टी तथा वैट-49 में) प्रेषक व प्रेषिती का पूरा नाम व पता, माल की मात्रा बिल नंबर, बिल्टी नंबर मय दिनांक तथा ट्रांसपोर्ट कंपने के नाम सहित सम्पूर्ण विवरण दर्शित किया जाने के बावजूद महज इसलिए माल को निरुद्ध कर लिया गया, कि माल के साथ पाया गया घोषणा—प्रपत्र वैट-49 मैन्युअली जारी है, जबकि जांच अधिकारी के मुताबिक यह ऑनलाईन जनरेट करके जारी (वैट-49A) किया जाना चाहिए था। अधिकृत प्रतिनिधि के मुताबिक अपीलार्थी ने वैट-49 जो कि विभाग द्वारा ही जारी एवं प्रमाणित किया हुआ है, के समर्थन से ही माल राज्य के बाहर भेजा है और जिसका कि इन्द्राज अपने नियमित लेखों में किया हुआ है। अधिकृत प्रतिनिधि ने आगे तर्क दिया, कि अपीलार्थी ने आरवैट एक्ट की धारा 76(2) सपठित नियम 54 का कोई उल्लंघन नहीं किया है क्योंकि धारा 76(2) के तहत अपेक्षित सभी दस्तावेज एवं सूचनाएं द्वक्त चैकिंग ही प्रस्तुत कर दी गई थी, मगर फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने करापवंचन मानते हुए अपीलार्थी के जवाब को अस्वीकार करते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित कर दी जो कि अनुचित है। अधिकृत प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि अधिसूचना दिनांक 14.05.2015 के बाद मैन्युअल वैट-49 जारी किया जाना महज एक तकनीकी / मानवीय भूल है तथा केवल इसी आधार पर माल को मय वाहन अभिग्रहित करना या शास्ति आरोपण की कार्यवाही करना विधि के प्रतिकूल है तथा अनेक न्यायिक दृष्टिकोणों के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की शास्ति

लगातार.....3

आरोपणीय एवं उचित नहीं होती है। अधिकृत प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने अपीलार्थी की कर चोरी की मंशा को भी प्रमाणित नहीं किया है तथा ना ही किसी प्रकार की जांच अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल से या कृषि उपज मण्डी बीकानेर से की है।

उपरोक्त तीनों ही प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि विभागीय अधिसूचना क्रमांक F.16(463) PT-1/VAT/TAX/CCT/2013/5693 दिनांक 14.05.2015 शुद्धिपत्र दिनांक 01.06.2015 के अनुसार घोषणा प्रपत्र वैट-49ए ओनलाईन जनरेटेड वक्त परिवहन संलग्न होना चाहिए था, लेकिन इस संव्यवहार में वैट-49ए माल के परिवहन के दौरान संलग्न नहीं था बल्कि कार्यालय से जारी शुद्ध वैट-49 संलग्न था। जांच अधिकारी द्वारा उक्त संव्यवहार को करवंचना की नीयत से किया जाना मानते हुए वाहन को निरूद्ध किया गया। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वक्त चैकिंग परिवहनित माल के संबंध में आवश्यक समस्त दस्तावेज साथ में संलग्न थे और परिवहनित माल के साथ वैट 49 भी संलग्न था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी के जवाब को अस्वीकार कर धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की। अधिकृत प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि अधिसूचना दिनांक 14.05.2015 के बाद मैनुअल वैट-49 जारी किया जाना महज एक तकनीकी / मानवीय भूल है तथा केवल इसी आधार पर माल को मय वाहन अभिग्रहित करना या शास्ति आरोपण की कार्यवाही करना विधि के प्रतिकूल है तथा अनेक न्यायिक दृष्टिकोणों के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की शास्ति आरोपणीय एवं उचित नहीं होती है। उन्होंने इस प्रकरण के संबंध में निम्न न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया और शास्ति अपास्त करने हेतु निवेदन किया।

Further Hon'ble Rajasthan High Court in the matter of ACTO versus M/s Smilex Pharmaceuticals decided on 26.10.2010 reported in 2010 (28) TUD 261 has held and laid down the principle that if declarations forms not accompanied along with other documents with goods and produced along with reply, than no panalty can be imposed. It is pertinent to mention here that the appellant has submitted form VAT-47 before the issuance of the notice in the office of the prosecutor.

विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा हाल ही में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन द्वितीय, आबूरोड बनाम मैसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज, हिण्डोनिसटी (करौली) अपील संख्या 1973/2014/करौली के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 26.04.2016 की छाया प्रति पेश कर कथन किया कि वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ संलग्न दस्तावेजों को बोगस अथवा मिथ्या साबित किये बिना मात्र तकनीकी भूल के लिए शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता।

ाटि इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स Cera Tech India बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाड़ी (2013) 35 TUD 49 निर्णय दिनांक 07.01.2013 का ससम्मान अध्ययन किया गया। इस निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :--

".....The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiencycontravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of

लगातार.....4

penalty ought to be eschewed. In the instant case it is not in dispute that form VAT-47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2) (b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgement in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2) (b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ़ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, बांसवाड़ा (2013) 36 Tax Update 37 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी यह साबित नहीं कर पाता है कि प्रस्तुत दस्तावेज एवं घोषणा पत्र बोगस या झूठे हैं तो व्यवहारी पर शास्ति नहीं लगाई जा सकती है।

सशक्त अधिकारी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों को संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। जबिक माननीय राजस्थान उच्च, न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता—रानीवाड़ा, जालौर बनाम मैसर्स अग्रवाल प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज (2012) 32 TUD 243 में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम पदम प्रभु (15 TUD 115) को उद्धरित करते हुए यह अवधारित किया गया है कि :—

पेरा 3 :— This Court in the case of ACTO Vs. Padam Prabhu (2006) 15 Tax Update 115 (Raj) has already held that debatable questions of law as to whether particular commodity falls or not in the entry or relevant notification requiring production of declaration in Form ST-18A besides the relevant documents like bill and bilty Under Section 78(2) of the Act, cannot be decided by the Assessing Authority in the penalty proceedings under.

इसी निर्णय के पैरा 5 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी जांच के अभाव में शास्ति का आरोपण स्पष्ट रूप से अविधिक है :-

"The provisions of section 78(5) of the Act clearly stipulate and envisage holding of such enquiry irrespective of the requirement of ST-18A being there or not. In the absence of any such enquiry held by the Assessing Authority, the penalty in question was clearly unsustainable in law. Therefore, in the opinion of this Court, even though the appellate authorities were not justified in taking up the determination of the aforesaid question of law as to whether the veneer boards purchased by the assessee fell within the relevant entry of the notification or not, and the penalty Under Section 78(5) of the Act could not be imposed on the assessee after the decision of such question of law."

उक्त निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किये गये अभिनिर्धारण के पिरप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है जो कि अधिनियम की धारा 76(6) के प्रावधानों के अनुसार बाध्यकारी थी।

3.CTO, AE, Udaipur Vs. Viral Filaments Ltd., Jaipur reported in (2010) 13 VAT Reporter 163 (Raj.).

माननीय न्यायालय ने उक्त निर्णय में आगे अभिनिर्धारित किया है कि :--

"......Secondly, on the factual matrix also, this court is satisfied that no penalty could be imposed on the respondent-assessee for the alleged breach of the Rule 53 even if one were to conclude that such a requirement was there in law for the assessee to furnish these declarations. In D.P. Metal's case (supra), the Hon'ble Apex Court in para 30 delineated the need of providing opportunity to the assessee in such cases in compliance with the principles of natural justice, where declarations were found to be deficient or absent. It is true that in subsequent judgement in the case of Assistant Commercial Taxes Officer Vs. Bajaj Electricals Limited reported in (2008) 17 VST 436 (SC), where the declarations in Form No. ST-18A were found to be blank, it was held that it amounted to a breach of provision of section 78 (2) of the Act attracting the penalty Under Section 78(5) of the Act nonetheless, the requirement of giving such opportunity to the assessee as held in the D.P. Metals case (supra) has not been done away with in the subsequent judgement in the case of Bajaj Electricals (supra) and Guljag Industries case (supra)."

विचाराधीन प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण का आधार परिवहनित माल के साथ वैट—49ए के स्थान पर वैट—49 साथ में पाये जाने की माना गया है। परिवहनित माल के साथ वक्त चैकिंग पायों गया वैट—49 तकनीकी भूल की श्रेणी में आता है। रिकॉर्ड से विदित है कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है तथा न ही कोई अन्यथा साक्ष्य रिकॉर्ड पर जुटाये गये हैं तथा न ही प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या अथवा कूटरचित साबित किया गया है।

माननीय कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि परिवहनित माल के साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों को जांच के उपरान्त बोगस अथवा मिथ्या साबित नहीं किये गये हैं, तो मात्र Manually (हाथ से बनाया हुआ) जारी किया गया प्रस्तुत घोषणा—पत्र जो कि एक तकनीकी भूल है, के आधार पर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। उल्लेखनीय तथ्य यह भी हैं कि जांचकर्ता अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त जांच प्रस्तुत दस्तावेजों को जांच के उपरान्त बोगस अथवा मिथ्या साबित नहीं किये गये हैं। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी का प्रकरण उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धरित माननीय राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में केवल वक्त जांच प्रस्तुत घोषणा पत्र वैट 49 के आधार पर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित की गई शास्ति उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में न्यायोचित नहीं ठहरायी जा सकती है।

किया एक 🗀 🗀 । १००

लगातार......6

उपरोक्त विवेचन, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उपर्युक्त अंकित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

(मदन लॉल मालवीय) सदस्य